

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तर रेलवे वाराणसी ।

आदेश

अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित है । अभियुक्त की ओर से प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उसे अपना जुर्म स्वीकार है । उसके मामलों को जुर्म स्वीकृति के आधार पर निस्तारित किया जाय ।

सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया । अभियुक्त का बयान मुल्जिम अंकित किया गया । अभियुक्त के जुर्म स्वीकृति के आधार पर उसे जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है । अभियुक्त द्वारा जुर्माना की धनराशि अदा कर दी गयी है । मामले में कोई कार्यवाही शेष नहीं है । पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

ए0सी0जे0एम0

उत्तर रेलवे, वाराणसी ।